बर्खास्त दीपक कपूर पर अब तक एफआईआर नहीं, सीएम दफ्तर ने मांगी सूचना

मजदूर मोर्चा ब्यूरो

फरीदाबाद: शिक्षा विभाग में सुपरिटेंडेंट दीपक कपूर को बर्खास्त किए जाने और उसके खिलाफ अब तक की गई कार्रवाई के बारे में मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने 27 मई को जानकारी मांगी है। दीपक कपूर की डिग्री फर्जी पाए जाने पर हरियाणा सरकार ने उसे हाल ही में बर्खास्त किया था। अभी तक दीपक कपूर के खिलाफ न तो आपराधिक मामला दर्ज हुआ और न ही पुलिस ने उससे कोई पूछताछ की।

डीपीसी ने की खानापूर्ति

दीपक कपूर के खिलाफ एफआईआर पुलिस को दर्ज करनी है। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने फरीदाबाद की डीपीसी (जिला परियोजना समन्वयक) मुनेश चौधरी को पत्र लिखा था। डीपीसी ने वह अनुरोध पत्र पुलिस कमिश्नर दफ्तर में बेमन से फॉरवर्ड करते हुए एफआईआर दर्ज करने का अनुरोध किया था। पत्र भेजने के नाम पर डीपीसी ने सिर्फ खानापूर्ति की। पुलिस कमिश्नर दफ्तर ने डीपीसी का वह अनुरोध पत्र आगे थाने में फॉरवर्ड कर दिया। नियमानुसार यह एफआईआर पिछले महीने में ही दर्ज हो जानी चाहिए थी। लेकिन डीपीसी की लापरवाही की वजह से इसमें विलम्ब होता रहा। आरोप है कि शिक्षा निदेशालय से पत्र आने के बावजूद उन्होंने दीपक कपूर के खिलाफ कार्रवाई में देरी की।

क्या है मामला

दीपक कपूर ने अपनी बीकॉम की डिग्री के जरिए सबसे पहले पलवल में सर्वशिक्षा अभियान के प्रोजेक्ट में ब्लॉक रिसोर्स सेंटर पलवल में एकाउंट्स क्लर्क की नौकरी पाई। उसके बाद उसने डीपीसी फ़रीदाबाद में अपना अनुभव प्रमाणपत्र और बीकॉम की डिग्री दिखाकर डिप्टी सुपरिटेंडेंट की नौकरी पाई। यह 2010 की बात है।

इसके बाद आरटीआई एक्टिविस्ट आर. के. भारद्वाज और हेतराम चौहान ने सूचना मिलने पर आरटीआई के ज़रिए दीपक कपूर के बारे में सर्व शिक्षा अभियान के अफ़सरों से जानकारी मांगने की शुरुआत की। लेकिन दीपक कपूर ने विभाग में चारों तरफ़ ऐसी सेटिंग कर रखी थी कि कहीं से भी आरटीआई के ज़रिए कोई सूचना देने को तैयार नहीं हुआ।

आरके भारद्वाज ने इसके बाद हरियाणा की सूचना सचिव डॉ रेखा को लिखा। सूचना आयुक्त पहले तो दीपक कपूर के बारे में सूचना देने पर राज़ी हो गईं लेकिन दीपक कपूर ने विभाग के अफ़सरों से मिलकर सूचना आयुक्त का आदेश ही रद्द करा दिया। इसके बाद सर्व शिक्षा अभियान के स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर (एसपीडी) ने भी दीपक कपूर के बारे में सूचना देने से मना कर दिया। इसी बीच कपूर को तत्कालीन डीईओ अनीता वर्मा समेत कई अफ़सरों का साथ मिल गया और ये लोग शिक्षा विभाग में एक गैंग की तरह काम करने लगे। इसी स्थिति का फ़ायदा उठाकर सरकारी स्कूल के पीछे गृहविहीन बच्चों के लिए बने हॉस्टल में कपूर ने अपने रिश्तेदारों को भर दिया। इतना ही नहीं वहाँ ख़ाली पड़े मैदान पर क्रिकेट अकादमी चलवाने लगा। जिनसे यह हर महीने पैसा लेता था।

दीपक कपूर ने ऐसी चाल चली कि आरटीआई एक्टिविस्ट हेतराम चौहान को उसने झूठे मुक़दमे दर्ज कराकर जेल भिजवा दिया। चौहान ने हार नहीं मानी। उन्होंने सीएम विंडो पर भी शिकायत की लेकिन मामला दब गया।

इसी बीच मौजूदा ज़िला शिक्षा अधिकारी रितु चौधरी जो मौलिक शिक्षा अधिकार का पद भी संभाल रही हैं, उनके पास भी दीपक कपूर की शिकायतें पहुँचीं। उन्होंने शिक्षा निदेशालय को दीपक कपूर की बीकॉम की डिग्री की जाँच के लिए पत्र लिखा।

राज्य शिक्षा निदेशालय ने इसका संज्ञान लेते हुए आगरा स्थित डॉ भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को आधिकारिक पत्र लिखा। यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार (परीक्षा) ने हरियाणा शिक्षा निदेशालय को सूचना दी कि दीपक कपूर को बीकॉम की डिग्री नहीं दी गई है और उन्होंने जो डिग्री पेश की है, वो फ़र्ज़ी है।

महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि विभाग को यूनिवर्सिटी से फ़र्ज़ी डिग्री का पत्र फ़रवरी 2021 में ही आ चुका था लेकिन दीपक कपूर ने उस पत्र को दबवा रखा था। लेकिन इस फ़ाइल पर निदेशालय में बैठे एक ईमानदार अधिकारी जे. गणेश की नज़र पड़ गई और उन्होंने बर्ख़ास्तगी का आदेश जारी किया।

पुलिस जांच से ही खुलेंगे मामले

दीपक कपूर तो बर्खास्त तो हो चुका है। लेकिन उसी के ज़रिए बहुत सारे लोग शिक्षा विभाग में नौकरियाँ कर रहे हैं। गहन पुलिस जाँच और दीपक कपूर से पूछताछ के बाद उन लोगों के चेहरे बेनक़ाब हो सकते हैं और बड़ा स्कैम सामने आ सकता है।

सीआईए ठेका लूट कांड.....

पेज एक का शेष

उक्त फर्जी एफआईआर भी ठेके में घुसने के कई घंटों बाद दर्ज कराई गयी। एक दिन बाद पुलिस को यह समझ आया कि शराब बेचने के इस गुनाह में केवल दो कारिंदे ही तो काबू आये हैं, इसलिये उन कारिंदों से एक बयान ले लिया गया कि ठेकेदार के कहने पर वे शराब बेच रह थे, इसके आधार पर एक दिन बाद धारा 120बी जोड़कर ठेकेदार को भी दोषी बना लिया। इतना ही नहीं पुलिस के काम में बाधा डालने का एक और मुकदमा ठेकेदार के विरूद्ध दर्ज कर लिया गया। गजब तो स्थानीय न्यायालय ने भी कर दिया जब उसने ठेकेदार को अग्रिम जमानत देने से मना कर दिया, जबकि तथाकथित शराब बेचने वाले कारिंदों को जमानत पर छोड़ दिया गया। हालांकि ठेकेदार को हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अग्रिम जमानत दे दी।

बेशर्मी की इन्तेहा

यूं तो यह सारा मामला ही पुलिस एवं प्रशासन की बेशर्मीयुक्त खुली लूट का है, परन्तु इन्तहा तो तब हो गयी जब शराब ठेकेदार एसोसिएशन आबकारी विभाग के उच्चतम अफसरान को लेकर ग़ृहमंत्री विज तथा आबकारी मंत्री दुष्यंत चौटाला के सामने पेश हुए। चौटाला ने सारी बात को सुन-समझकर डीजीपी मनोज यादव को मामले में उचित कार्यवाही तथा दोषी पुलिस अधिकारियों को नापने के आदेश दिये। लेकिन जब 20 मई तक भी यहां किसी के कान पर जूं नहीं रेंगी तो चौटाला ने डीजीपी को अपनी कोठी पर तलब किया और अच्छी खुराक दी तब कहीं जाकर सब इन्सपेक्टर साहब का तबादला हुआ जांच हेतु बयान दर्ज करने का सिलसिला शुरू किया गया।

जानकार बताते हैं कि आबकारी एवं उपमुख्यमंत्री चौटाला पुलिस की इस लूटमार पद्धति का कड़ा संज्ञान लेने जा रहे हैं। समझा जा रहा है कि शराब ठेकों से संबंधित किसी भी मामले का पुलिस कोई संज्ञान नहीं ले पायेगी। इसके लिये केवल आबकारी विभाग ही अधिकृत रहेगा।

समझने वाली बात यह भी है कि सीआईए यूनिट इस तरह के ओछे कामों के लिये नहीं बनाई गयी है। इसका गठन बड़े आपराधिक मामलों को हल करना, बड़े-बड़े शातिर बदमाश गिरोहों को ढूंढकर पकड़ना आदि। इसके अलावा शराब की तस्करी शराब की भट्ठियों व मादक द्रव्यों से संबंधित कारोबारियों को पकड़ना। शहर के एक ठेके से माल लेकर शहर में ही बेचना, तस्करी की श्रेणी में नहीं आता। लेकिन पुलिस ने अपनी लूट कमाई के लिये इसे तस्करी का नाम दे रखा है। इसी के चलते तमाम सीआईए यूनिटें अपना असल काम छोड़कर सारा दिन शिकारी कुत्तों की तरह ठेकों के आसपास मंडराते रहते हैं और उनसे अपनी मंथिलयां तय करते हैं। इसके अलावा अपना पूरा मुखबिर तंत्र इन्होंने जुआ-सट्टे आदि पर लगा छोड़ा है, इन्हें बंद करने के लिये नहीं, इनसे केवल मथलियां सेट करने के लिये। यदि सरकार अपराधियों पर नकेल कसना चाहती है तो सीआईए के लिये कड़ी हिदायत जारी करें कि वह सरकारी डयूटी पेड शराब से संबंधित व जुए सट्टे आदि के केस दर्ज करना बंद करे। इन कामों के लिये स्थानीय थाने व चौकियां ही पर्याप्त हैं।

नहीं पढ़ाई जा रही हैं एनसीईआरटी किताबें निजी स्कूलों में

करनाल, (ममो): हरियाणा सरकार से शिकायत की गई है कि शिक्षा विभाग के निर्देश के बावजूद राज्य के प्राइवेट स्कूलों में अभी भी एनसीईआरटी की किताबें नहीं पढ़ाई जा रही हैं। इसके अलावा स्कूल फीस के नाम पर अभिभावकों के शोषण का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की गई है।

कैलाश चंद एडवोकेट ने शिक्षा विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, निदेशक सेकेंडरी शिक्षा विभाग, निदेशक मौलिक शिक्षा विभाग, व प्रदेश के सभी मंडल आयुक्तों को पत्र भेज कर मांग की है कि प्रदेश के निजी स्कूलों में बच्चों व अभिभावकों का नजायज फीस पर शोषण किया जा रहा है। पहले से उसी स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चों की शिक्षा पर बच्चों व अभिभावकों से प्रत्येक वर्ष वार्षिक शुल्क, दाखिला फीस, डेवलेपमेन्ट फंड, स्मार्ट क्लास, कम्प्यूटर क्लास, साइंस लैब, जैसे अमान्य मद है जिनके नाम से नाजायज फीस ली जा रही है जो कि एक अवैध वसूली का प्रारूप है। जिस बारे में हरियाणा शिक्षा कोड में नियम 158 के तहत ये सभी चार्ज अमान्य श्रेणी में आते हैं, जो कि निजी स्कूलों में पहले से शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चो से ये सभी चार्ज लेना नियम के विरुद्ध है, इन सभी पर रोक लगाई जाए,

कैलाश चंद एडवोकेट ने उच्च अधिकारियों से ये भी मांग की है कि निजी

स्कूलों में सिर्फ और सिर्फ एनसीआईआरटीज की किताबें पढ़ाने के लिये सरकार द्वारा कानून बना दिया गया है, परन्तु सभी ज्यादातर निजी स्कूलों में कक्षा पहली से कक्षा 8वी तक के बच्चों को प्राइवेट पब्लिशर्स की किताबे पढ़ाई जा रही हैं, जो कि सरकार के कानूनों की अवहेलना है। कैलाश चंद ने सरकार को ये भी अवगत कराया कि कक्षा पहली से कक्षा तीसरी तक के बच्चों की ऑनलाइन क्लास की फीस भी नही ली जाने का आदेश माननीय हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं, जिन पर रोक लगाना अनिवार्य है।

लॉक डाउन के कारण आमजन का रोजगार समाप्त हो चुका है जिससे वे स्कूलों की फीस भरने में असमर्थ है, परन्तु निजी स्कूलों द्वारा बच्चो व अभिभावकों पर फीस जमा करने का दबाव बनाया जा रहा है। बच्चो को ऑनलाइन क्लास से बाहर किया जा रहा है जिस कारण बच्चे मानसिक प्रताड़ित हो रहे हैं, जो कानून के खिलाफ है, बताया कि जल्द से जल्द निजी स्कूलो की मनमानी पर अंकुश लगाए ताकि प्रदेश के लाखों अभिभावकों ओर बच्चो को राहत मिल सके।

वाई पूर्ण कुमार आईजीपी बनकर भी दलित संरक्षण एक्ट की चाहते हैं छतरी

मजदूर मोर्चा ब्यूरो

वाई पूर्ण कुमार 2001 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और फिलहाल इन्सपेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रेंक में होम गार्ड मुख्यालय में चंडीगढ़ तैनात हैं। बीते पखवाड़े इन्होंने चंडीगढ़ से अम्बाला जाकर वहां के एसपी हामिद अख्तर को अपने डीजीपी मनोज यादव के खिलाफ एक शिकायत पेश की। इसमें लिखा गया है कि डीजीपी उन्हें लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं क्योंकि वे दलित पृष्ठ भूमि से आते हैं।

यह जानना तो और भी रोचक है कि वह प्रताड़ना क्या है जिसके लिये पूर्णकुमार जी चंडीगढ़ से दौड़कर अम्बाला पहुंचे और अपने से काफी कनिष्ठ आईपीएस अधिकारी के सामने पेश होकर एससी, एसटी एक्ट के तहत डीजीपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की गुहार लगाई जबकि उन्हें इतनी समझ तो जरूर होगी ही कि डीजीपी के विरूद्ध मुकदमा दर्ज करना किसी भी एसपी के बस की बात नहीं।

अपनी शिकायत में पूर्ण कुमार कहते हैं कि जब वे बतौर आईजीपी अम्बाला रेंज तैनात थे तो वे थाना शहजादपुर में बनाये गये एक शिवलिंग का उद्घाटन करने पहुंचे थे जहां एक अन्य आईपीएस अफसर जोरवाल भी बतौर एसपी अम्बाला मौजूद थे।

उक्त उद्घाटन डीजीपी के उस आदेश की अवहेलना करते हुए किया गया था जिसमें कहा गया था कि पुलिस परिसर में किसी भी धार्मिक स्थल का निर्माण उनसे मंजूरी लिये बिना न किया जाये।

श्रीमान पूर्णकुमार जो शैक्षणिक तौर पर इंजीनियरिंग की डिग्री रखते हैं कहते हैं कि उस उदघाटन के लिये डीजीपी बार-बार उनकी ही जवाब तलबी करने पर क्यों तुले हैं, आये दिन एक मीमो उन्हें क्यों भेज देते हैं, जबकि एक अन्य आईपीएस अधिकारी भी तो वहां मौजूद था, उसे क्यों नहीं पूछते? अब इतने उच्च शिक्षित पूर्णकुमार को यह छोटी सी बात कौन समझाये कि जिस घटनास्थल पर बड़ा अधिकारी मौजूद हो तो वहां छोटे अधिकारी को जिम्मेदारी नहीं रहती, हां यदि पूर्ण कुमार चाहते तो बतौर आईजी अपने एसपी की जवाब तलबी कर सकते थे।

यदि उन्होंने ऐसा कर दिया होता तो आज उनकी जवाब तलबी न हो रही होती, परन्तु आईजी साहब भला ऐसा कैसे कर सकते थे क्योंकि वे तो खुद उद्घाटन कर रहे थे और एसपी को तो उनकी जवाब तलबी करने का अधिकार होता नहीं।

SOS

आज मजदूर मोर्चा अपने कठिनतम दौर से गुजर रहा है। यदि समय रहते सुधी पाठकों का सहयोग न मिल पाया तो इस निर्भीक एवं जुझारू आवाज का जीवित रहना दूभर हो जायेगा। इसलिये पाठकों से विनम्र निवेदन है कि यथाशक्ति आर्थिक सहयोग प्रदान करने की कृपा करें।

मज़दूर मोर्चा- खाता संख्या-451102010004150
IFSC Code : UBIN0545112
Union Bank of India, Sector-7, Faridabad